समक्ष एम. एम. कुमार और जोरा सिंह माननीय न्यायमूर्ति

विनय कुमार, -याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य, -उत्तरदाता

सीडब्ल्यूपी 7533/ 2007.

4 नवंबर, 2008

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद। 226-फ्लैट के प्रारंभिक आवंटन को रद्द करना-पत्राचार पते में बदलाव-याचिकाकर्ता के पत्राचार पते पर भेजे गए पत्र वापस प्राप्त हुए।- स्थायी पते पर गलत तरीके से कारण बताओ नोटिस भेजने वाले उत्तरदाता-कारण बताओ नोटिस भी वापस कर दिया गया-याचिकाकर्ता की कोई गलती नहीं-याचिकाकर्ता को उत्तरदाताओं द्वारा किए गए गलत काम के लिए पीड़ित नहीं किया जा सकता-याचिकाकर्ता को एलआईजी फ्लैट के आवंटन का हकदार ठहराया गया।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि याचिकाकर्ता को दोषी नहीं माना जा सकता है क्योंकि उसने अपना पता एके-20, शालीमार बाग, दिल्ली के रूप में दिया था, जबकि प्रत्यर्थियों ने पत्राचार पते और स्थायी पते पर ए-20, शालीमार बाग, दिल्ली के रूप में गलत तरीके से वर्णन करके पत्राचार दर्ज किया था। इसलिए, याचिकाकर्ता को उत्तरदाताओं द्वारा की गई गलती के लिए पीड़ित नहीं किया जा सकता है।
(Para 8)
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सचिन मित्तल।
प्रत्यर्थी की ओर से अधिवक्ता सुरेश अहलावत, सं. 2 और 3.

न्यायमूर्ति एम. एम. कुमार

(1) याचिकाकर्ता ने याचिकाकर्ता के पक्ष में फ्लैट के प्रारंभिक आवंटन को पूरी तरह से अवैध होने के कारण रद्द करने में प्रतिवादियों की कार्रवाई को रद्द करने के अनुरोध के साथ इस न्यायालय का दरवाजा

खटखटाया है। सेक्टर 4 और 5, हाउसिंग बोर्ड, कमल में फ्लैट के आवंटन के लिए उत्तरदाताओं को निर्देश जारी करने के लिए एक और अनुरोध किया गया है।

(2) तत्काल याचिका के निपटारे के लिए आवश्यक संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि आवास बोर्ड, हरियाणा, प्रतिवादी नं। 2 हरियाणा राज्य के विभिन्न जिलों में फ्लैटों के आवंटन के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें सेक्टर 4 और 5, करनाल शामिल हैं। याचिकाकर्ता ने निम्न आय समूह (एल. आई. जी.) फ्लैटों के लिए आवेदन किया था और रुपये के बैंक डार्ट के साथ विधिवत भरा हुआ अपना आवेदन पत्र जमा किया था। 34, 800, दिनांक 20 दिसंबर, 2004। उनके आवेदन पत्र के अवलोकन से पता चलता है कि उन्होंने दो पते दिए हैं, एक पत्राचार के लिए और दूसरा अपना स्थायी पता। दोनों पते इस प्रकार हैंः-

पत्राचार का	स्थायी पता
विनय, ईपी-72, पथानवाड़ा, सोहना जिला। गुडगाँव।	विनय, एके-20, शालीमार बाग दिल्लीईपी-72, पथानवाड़ा

(3) आवेदन को उत्तरदाताओं द्वारा विधिवत स्वीकार कर लिया गया था और वह लॉट निकालने में सफल रहा था। यह उल्लेख करना उचित है कि लॉट के ड्रॉ से पहले, याचिकाकर्ता का अस्थायी/पत्राचार पता बदल गया था और वह लॉट के भाग्य के बारे में अपने स्थायी पते पर उत्तरदाताओं से सुनने के लिए आशावादी रहे। जब उन्हें कुछ नहीं सुनाई दिया, तो वे पंचकूला में उत्तरदाताओं के कार्यालय गए, जहाँ उन्हें पता चला कि वे लॉट के ड्रॉ में सफल रहे हैं। हालाँकि, उनका अस्थायी पता बदलने के कारण, पत्र बिना भेजे वापस आ गया था। अभिलेख के निरीक्षण पर, याचिकाकर्ता को पता चला कि कारण बताओ नोटिस 26 सितंबर, 2005 को उनके स्थायी पते पर भेजा गया था, लेकिन उनके स्थायी पते को गलत तरीके से एके-20, शालीमार बाग, दिल्ली के बजाय ए-20, शालीमार बाग, दिल्ली के रूप में उल्लिखित किया गया था। कारण बताओ नोटिस भी बिना कारण बताए वापस ले लिया गया। याचिकाकर्ता ने 1 फरवरी, 2007 को

उत्तरदाताओं को सभी तथ्यों से अवगत कराने के बाद 5 फरवरी, 2007 (अनुलग्नक पी-2) को एक अभ्यावेदन दिया। उन्होंने 14 फरवरी, 2007 को फिर से पंजीकृत कवर के तहत एक संदेश भेजा। आवास बोर्ड ने 25 अप्रैल, 2007 को उन्हें एक करोड़ रुपये का चेक भेजा। 31, 320 जबकि उन्होंने रु। 34, 800। हालांकि, याचिकाकर्ता ने ईपी-72, पठानवाड़ा, सोहना जिला नहीं बताया। गुड़गांव। एके-20, शालीमार बाग दिल्ली

(3) उत्तरदाताओं द्वारा आवेदन को विधिवत स्वीकार कर लिया गया और वह लॉट निकालने में सफल रहे। यह उल्लेख करना उचित है कि लॉट के ड्रॉ से पहले, याचिकाकर्ता का अस्थायी/पत्राचार पता बदल गया था और वह लॉट के भाग्य के बारे में अपने स्थायी पते पर उत्तरदाताओं से सुनने के लिए आशावादी रहे। जब उन्हें कुछ नहीं सुनाई दिया, तो वे पंचकूला में उत्तरदाताओं के कार्यालय गए, जहाँ उन्हें पता चला कि वे लॉट के ड्रॉ में सफल रहे हैं। हालाँकि, उनका अस्थायी पता बदलने के कारण, पत्र बिना भेजे वापस आ गया था। अभिलेख के निरीक्षण पर, याचिकाकर्ता को पता चला कि कारण बताओ नोटिस 26 सितंबर, 2005 को उनके स्थायी पते पर भेजा गया था, लेकिन उनके स्थायी पते को गलत तरीके से एके-20, शालीमार बाग, दिल्ली के बजाय ए-20, शालीमार बाग, दिल्ली के रूप में उल्लिखित किया गया था। कारण बताओ नोटिस भी बिना कारण बताए वापस ले लिया गया। याचिकाकर्ता ने 1 फरवरी, 2007 को उत्तरदाताओं को सभी तथ्यों से अवगत कराने के बाद 5 फरवरी, 2007 (अनुलग्नक पी-2) को एक अभ्यावेदन दिया। उन्होंने 14 फरवरी, 2007 को फिर से पंजीकृत कवर के तहत एक संदेश भेजा। आवास बोर्ड ने 25 अप्रैल, 2007 को उन्हें एक करोड़ रुपये का चेक भेजा। 31, 320 जबकि उन्होंने रु। 34, 800। हालाँकि, याचिकाकर्ता ने उपरोक्त चेक को भुनाया नहीं। उन्होंने यह भी दावा किया है कि उत्तरदाताओं के पास कई फ्लैट उपलब्ध हैं।

(4) जब मामला 18 मई, 2007 को इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए रखा गया, तो प्रत्यर्थियों को याचिका के निपटारे तक याचिकाकर्ता के लिए एक फ्लैट आरक्षित रखने का निर्देश दिया गया।

(5) उत्तरदाताओं ने यह रुख अपनाया है कि विवरणिका में यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया गया है कि लॉट का ड्रा योजना की अंतिम तिथि से छह महीने के भीतर होना था। समाचार पत्रों के माध्यम से यह भी सूचित किया गया था कि लॉट का ड्रा 26 जून, 2005 को आयोजित किया जाना था। यह स्थिति स्वीकार की जाती है कि याचिकाकर्ता लॉट के ड्रॉ में सफल आबंटित था और उत्तरदाताओं को कोई सूचना दिए बिना आवेदन पत्र में दिए गए अपने पत्राचार पते के परिवर्तन के कारण, वह अपने पत्राचार पते पर दिनांक 20 जुलाई, 2005 का आवंटन पत्र भेजे जाने के 45 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर आवश्यक राशि जमा करने में विफल रहा, जिसे डाक अधिकारियों की टिप्पणी 'बार-बार पाटा किया कुछ पता नहीं चलता, वापिस' के साथ वापस प्राप्त किया गया था। यह भी दावा किया गया है कि याचिकाकर्ता को उसके स्थायी पते पर कारण बताओ भेजा गया था जो पंजीकृत डाक के तहत गलत पता था जिसे अप्रकाशित के रूप में वापस प्राप्त नहीं किया गया था। इसी तरह, 13 जनवरी, 2006 के रद्द करने के आदेश को भी याचिकाकर्ता को पंजीकृत डाक के माध्यम से देने का प्रयास किया गया था, जिसे वापस नहीं किया गया है। इसलिए, यह

माना गया कि याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस और रद्द करने के आदेशों वाला पंजीकृत पत्र दिया गया है। प्रतिवादियों ने दावा किया था कि फ्लैटों के आवंटन के लिए प्रतीक्षा सूची तैयार की गई थी और प्रतीक्षा सूची में आवेदकों को फ्लैटों की पेशकश अप्रैल, 2006 के महीने में की गई थी। याचिकाकर्ता के पत्राचार पते पर भेजे गए 20 जुलाई, 2005 के पत्र की प्रति को अनुबंध आर-एल के रूप में रिकॉर्ड में रखा गया है और 26 सितंबर, 2005 के पत्र की प्रति को अनुबंध आर-2 के रूप में रिकॉर्ड में रखा गया है। आवंटन रद्द करने और पंजीकरण जमा राशि की वापसी की प्रति भी अनुलग्नक आर-3 और आर-4 के रूप में रिकॉर्ड में रखी गई है।

(6) उपर्युक्त तथ्यों से, यह स्पष्ट हो जाता है कि 20 जुलाई, 2005 का मांग पत्र रुपये की राशि जमा करने के लिए। याचिकाकर्ता के स्थायी पते पर 30 दिनों के भीतर कथित रूप से 34,800 भेजे गए थे। हालांकि, 26 सितंबर, 2005 के उपर्युक्त पत्र (अनुलग्नक आर-II) के अवलोकन से पता चलता है कि यह ए-20, शालीमार बाग, दिल्ली को भेजा गया था, जबकि याचिकाकर्ता का पता एके-20, शालीमार बाग, दिल्ली है। इसी तरह, अन्य सभी पत्र उनके पत्राचार पते पर भेजे गए थे जो प्रत्यर्थी को वापस मिल गए थे।

(7) हमने मूल रिकॉर्ड का भी अवलोकन किया है और पाया है कि याचिकाकर्ता ने अपना स्थायी पता एके-20, शालीमार बाग, दिल्ली बताया था, जबकि पत्र रुपये की मांग के संबंध में भेजा गया था। 34, 800 ए-20, शालीमार बाग, दिल्ली में जहां जाहिर है कि यह उन तक नहीं पहुंच सकता था।

(8) पक्षकारों के विद्वान वकील को काफी देर तक सुनने के बाद, हम पाते हैं कि याचिकाकर्ता को दोषी नहीं माना जा सकता है क्योंकि उसने अपना पता एके-20, शालीमार बाग, दिल्ली के रूप में दिया था। जबकि उत्तरदाताओं ने पत्राचार पते और स्थायी पते पर पत्राचार में गलती से ए-20, शालीमार बाग, दिल्ली का वर्णन किया था। इसलिए, याचिकाकर्ता को उत्तरदाताओं द्वारा की गई गलती के लिए पीड़ित नहीं किया जा सकता है। सुनवाई के दौरान, प्रत्यर्थियों के वकील श्री सुरेश अहलावत ने स्वीकार किया कि एलआईजी श्रेणी का एक फ्लैट याचिकाकर्ता के लिए आरक्षित रखा गया है और उसे आवंटित किया जा सकता है। इसलिए, हम पाते हैं कि याचिकाकर्ता एल. आई. जी. फ्लैट के आवंटन का हकदार है।

(9) उपर्युक्त कारणों से, यह याचिका सफल होती है। प्रत्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता को विवरणिका में उल्लिखित मूल्य पर उसमें निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार एल. आई. जी. फ्लैट आवंटित करें। हम आगे निर्देश देते हैं कि याचिकाकर्ता भुगतान की तारीख तक 9% प्रति वर्ष की दर से उपरोक्त मूल्य पर साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। इस आदेश की प्रति की प्राप्ति की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर आवश्यक कार्य किया जाएगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह
अपनी भाषा में इसे समझ सके और कि सी अन्य उद्देश्य के लि ए इसका उपयोग नहीं कि या जा

सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

पीयूष चौधरी
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
जगाधरी, हरियाणा